

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, शेखपुरा।

अल्पकालीन उद्घरण आमंत्रण सूचना संख्या- 04/2017-18

शेखपुरा जिलान्तर्गत निम्न पुल का निर्माण कार्य हेतु Detailed Project Report तैयार करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से मुहरबंद लिफाफों में उद्घरण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, शेखपुरा/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना, के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है :-

क्रमांक	पथ का नाम	प्रस्तावित पुल की लम्बाई
1.	शेखपुरा-शाहपुर पथ के 5वें कि0मी0 में RCC Bridge का निर्माण के लिए DPR तैयार करने का कार्य।	21.00 मी0

यह उद्घरण उक्त के कार्यालय में दिनांक- 22.12.17 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा ए उसी दिन उद्घरणकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष 3:30 बजे अपराह्न में उक्त कार्यालयों में खोल जाएगा। उद्घरणदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी कोटेशन ससम खोल दिया जाएगा।

## कोटेशन की शर्तें निम्न होगी :-

1. वर्णित स्थल से आवश्यक आकड़े प्राप्त कर उक्त पुल का निर्माण कार्य हेतु DPR तैयार करने का द प्रति मी0 के हिसाब से उद्धृत करना होगा।
2. उक्त पुल का DPR 7-7 प्रतियों में समर्पित करना होगा।
3. उक्त पुल का Detailed Project Report कार्यादेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी त कार्यालय में Hard Copy & Soft Copy जमा करना होगा।
4. समर्पित DPR में किसी भी प्रकार का त्रुटि दृष्टिगोचर होने की स्थिति में कोटेशनदाता स्वयं को खर्च प DPR में वांछित सुधार कर पुनः DPR समर्पित करना होगा।
5. कोटेशनदाताओं को कोटेशन के साथ PAN Card, निबंधन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. कोटेशनदाता कोटेशन देने से पूर्व स्थल निरीक्षण कर लेंगे।
7. कोटेशन में दर अंकित करने हेतु एवं अन्य वांछित सूचनाएं अंकित करने हेतु 'दर प्रोफार्मा' विशुल् उक्त कार्यालय से कोटेशन प्राप्ति की तिथि से एक दिन पूर्व 3.00 बजे अपराह्न तक वांछित कागजात की छायाप्रति, जो अभिप्रमाणित हो, के साथ आवेदन समर्पित कर प्राप्त कर लेना होगा। कोटेशन व दर उक्त परफार्मा में ही अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए कोटेशनदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा। भुगतान के समय विपत्र से आयकर, सर्विस टैक्स एवं अन्य वांछित कटौत नियमानुसार की ली जायेगी।
9. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. कोटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का/बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्ष को सुरक्षित रहेगा।

11. विशेष जानकारी के लिए अधीनस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सके से संबंधित सूचना/शिकायत के लिए Help line no. 18003456161 का कृपया उपयोग करें।
12. किसी कारणवश उक्त तिथि में सरकारी अवकाश घोषित होने पर कोटेशन की कार्रवाई 3 दिवस को होगी।

✓  
04-12/17

कार्यपालक अभियंता  
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल  
शेखपुरा